	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 06/2019–20
लोगले राय
–बनाम–
राज्य सरकार एवं अन्य

21.02.2023

आवेदक :–
(1). लोगेन राय, पे0– स्व0 देबेन राय, सा0– दूधीजोल, थाना– कोटालपोखर, जिला– साहेबगंज।

–बनाम–

विपक्षी :–
(1). जयफुल रजवार, पे0– स्व0 फेलू रजवार, सा0– दूधीजोल, थाना– कोटालपोखर, जिला– साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक लोगेन राय, पे0– स्व0 देबेन राय, सा0– दूधीजोल, थाना– कोटालपोखर, जिला– साहेबगंज के द्वारा दाखिल किया गया। उक्त आवेदन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद सं0– 10/2019–20, दिनांक– 25.07.2019 को पारित आदेश के विरूद्व रिभिजन (Rivision) वाद दाखिल किया गया है।

आवेदन के आवलोकनोपरांत वाद को अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत की गई एवं अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से इस न्यायालय के ज्ञापांक– 65/डी0बी0, दिनांक– 17.12.2020 से मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक– 05/रा0, दिनांक– 06.01.2021 द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल पी0ए0 वाद सं0– 10/2019–20 में दिनांक– 25.07.2019 द्वारा मौजा– दूधीजोल 230 के प्रधान के पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–5 के अन्तर्गत जयफुल रजवार को प्रधान नियुक्त किया गया। दिनांक– 25.07.2019 को मौजा– दूधीजोल के 16 आना रैयतों के द्वारा एक पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर पुनः सुनवाई हेतु अनुरोध किया गया। परन्तु विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल ने आवेदन पर विचार किये बिना, उक्त मौजा के प्रधान नियुक्त कर दिये जो कानूनन गलत है।

आगे उन्होने यह भी कहा कि मौजा– दूधीजोल के 16 आना रैयत द्वारा जयफुल रजवाड को प्रधान नियुक्ति में आपत्ति है। अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन गलत है। मौजा– के 16 आना रैयतों से हस्ताक्षर लेकर राजस्व कर्मचारी द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवेदन दाखिल किया गया। राजस्व कर्मचारी द्वारा आम सभा में प्रधान नियुक्ति से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं किया गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा के 16 आना रैयतों को न्यायालय द्वारा मौजा के रैयत लोगेन रजवाड को प्रधान नियुक्ति हेतु अपनी सहमति दिया गया, परन्तु प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी द्वारा जयफुल रजवाड को मौजा दूधीकोल के प्रधान नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया।

आगे उन्होने यह भी कहा कि मौजा– दूधीकोल के 16 आना रैयतों की आम सभा मौजा– दूधीजोल में दिनांक– 15.07.2019 को आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम के शिक्षित व्यक्ति मितल रजवाड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, परन्तु ग्राम सभा में अध्यक्षता मितल रजवाड का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

आगे यह भी अपने तर्क में कहा गया कि आवेदक लोगेन रजवाड़ द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को दिनांक– 21.02.2019 को आवेदन दाखिल किया, जिसमें जाँच हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा को दिनांक– 01.08.2019 को भेजा गया, जबकि दिनांक– 25.07.2019 को मौजा– दूधीजोल के प्रधान जयफुल रजवाड़ को नियुक्त कर दिया गया। आवेदक लोगेन राय के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। मौजा के 16 आना रैयतों को भी नोटिस निर्गत नहीं किया।

उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद सं0– 10/2018–19 दिनांक– 25.07.2019 को पारित आदेश को अपास्त हेतु अनुरोध किया गया है।

जवाब में विपक्षी जयफुल रजवाड़ के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक– 15.07.2019 को मौजा दूधीजोल में मौजा के हल्का कर्मचारी के उपस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मितल रजवाड द्वारा किया गया, सर्वसम्मति से 16 आना रैयतों द्वारा बिना आपत्ति किये जयफुल रजवाड, पिता– स्व0 फेलू रजवाड़ को चयन किया गया।

आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी कहा कि अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर मौजा 16 आना रैयतों के नोटिस के पश्चात् दूधीजोल के ग्राम प्रधान की नियुक्ति विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा पी0ए0 वाद सं0– 10/2019–20 दिनांक– 25.07.2019 को किया गया, जो उचित एवं सही है।

आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी कहा कि मौजा– दूधीजोल के 16 आना रैयतो का ग्राम सभा दिनांक– 15.07.2019 को राजस्व कर्मचारी के देख–रेख हुई। ग्राम सभा में 16 आना रैयत द्वारा कहा गया कि जयफुल रजवाड, पे0– स्व0 फेलू रजवाड खतियानी रैयत हरिराम मांझी का परपोता है। जयफुल रजवाड ग्राम में होने वाले सभी कार्यक्रम में बढ–चढ़ कर हिस्सा लेते है एवं शिक्षित व्यक्ति है।

उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद सं0– 10/2019–20 में दिनांक– 25.07.2013 यथावत रखने हेतु अनुरोध किया गया।

सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रधान के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन हेतु अनुरोध किया गया। इस न्यायालय के ज्ञापांक– 05/डी0बी0,

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक– 24.01.2022 से मौजा– दूधीजोल के पूर्व प्रधान से संबंधित प्रतिवेदन की मांग अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पत्रांक– 248/रा0, दिनांक– 26.08.2022 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के प्रतिवेदन मे संलग्न। अंचल अधिकारी, बरहरवा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा– दूधीजोल में प्रधान की नियुक्ति पूर्व में न्यायालय अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल में जयफुल रजवाड –बनाम– 16 आना रैयत मौजा– दूधीजोल, थाना नं0– 230 प्रधानी वाद सं0– 10/2019–20 के माध्यम से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्ति किया गया है, जो वर्तमान में जयफुल रजवाड, पिता– फेलू रजवाड, ग्राम– दूधीजोल पट्टाधारी प्रधान के रूप में कार्य कर रहे है।

पूर्व में प्रधान नहीं होने के कारण मौजा की लगान रसीद पूर्व कर्मचारी द्वारा काटा जाता था जिसके बारे में ग्रामीणों ने बताया।

उक्त मौजा– दूधीजोल, थाना नं0– 230 का प्रधानी पंजी एवं रिकार्ड ग्राम प्रधान के पास है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा– दूधीजोल, थाना नं0– 230 खास मौजा है, जिसका पूर्व में प्रधान नियुक्त नहीं था।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के पी0ए0 वाद सं0– 10/2019–20 जयफुल रजवाड –बनाम– 16 आना रैयत मौजा– दूधीजोल से यह भी स्पष्ट है कि मौजा के 16 आना रैयतो का विधिवत नोटिस तामिला नहीं कराया गया है। सिर्फ अंचल अधिकारी, बरहरवा के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मौजा– दूधीजोल, थाना नं0– 230 के प्रधान के पद पर जयफुल रजवाड, पिता– फेलु रजवाड, ग्राम– दुधीजोल, थाना– कोटालपोखर, जिला– साहेबगंज को किया गया है, जबकि उक्त मौजा के रैयत लोगेन राय, पिता– देवेन राय के द्वारा भी एक आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन पर भी निम्न न्यायालय को विचार करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा प्रधान नियुक्ति के पूर्व मौजा– दूधीजोल, थाना नं0– 230 के जमाबंदी रैयतो को विधिवत नोटिस निर्गत कर सूचना उपरांत प्रधान नियुक्ति की कार्रवाई की जानी चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जो आदेश खंडित करने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोंपरांत पी0ए0 वाद सं0– 10/2019–20 दिनांक– 25.07.2019 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु अभिलेख प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को पी0ए0 वाद सं0– 10/2019–20 के मूल अभिलेख वापस करते हुए आदेश दिया जाता है कि 16 आना रैयत को विधिवत नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित के पश्चात सुनवाई उपरांत संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत न्यायोचित आदेश पारित करेगें। पारित आदेश से उभय पक्षों से अवगत करावें। वाद की कार्रवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.08.25 11:36:26 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner